

**राजस्थान सरकार**  
**आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय**  
**योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर**

क्रमांक:- एस्टे/डीईएस/सां0नि0/अग्रिम अध्ययन/2019/3371

दिनांक:- 13/11/2019

**कार्यालय आदेश**

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित सांख्यिकी निरीक्षक को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-


क. सं.	नाम कर्मचारी (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापित विभाग/कार्यालय	परीक्षा जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है।
1.	देवेन्द्र कंवरिया	सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, टोंक	एम.ए.(प्रीवियस) भूगोल
2.	गिरिराज यादव	अति. निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर	एम.ए. अर्थशास्त्र
3.	रविन्द्र सिंह	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, झुन्झुनू झुन्झुनू	पी.एच.डी.-2018 (अर्थशास्त्र)
4.	दिनेश चन्देल	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, मकराना, नागौर	यू.जी.सी.नेट-2019, एन.वी.एस.पी.जी.टी परीक्षा-2019
5.	अरुण कुमार	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर	एम.ए.(प्रीवियस) मनोविज्ञान
6.	कुलविन्द्र सिंह	मुख्य आयोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर	एम.ए.(फाइनल) अर्थशास्त्र
7.	सुमन लाल	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पीपाड़ शहर, जोधपुर	आर्थिक अन्वेषक ग्रेड-2, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
8.	अनिल कुमार	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, श्रीविजयनगर, श्रीगंगानगर	एम.ए.(फाइनल) अर्थशास्त्र, यू.जी.सी.नेट-2019
9.	कंवर सिंह	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर	एन.टी.ए. नेट-2019 (अर्थशास्त्र)
10.	जयसिंह टोंक	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	एम.ए.(फाइनल), नेट-2019,
11.	भगवान लाल पटेल	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, सेमारी, उदयपुर	एम.ए.(प्रीवियस) राजनीति विज्ञान
12.	जगसीर सिंह सुथार	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, संगरिया, हनुमानगढ़	स्कूल व्याख्याता-2018
13.	श्वेता खण्डेलवाल	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (जन.स्वा.), जयपुर	एम.पी.ए.टी. परीक्षा-2018

नोट:- अग्रिम अध्ययन हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. राजसेवक का शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन अनुमति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी तथा नियमित अध्ययन की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है।




2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से स्थानान्तरित/ परिवर्तित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन के कारण राजसेवक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा अनुमति समाप्त कर दी जावेगी।
7. अध्ययन संस्थान में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा, केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
9. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

  
 (कुलदीप भटनागर)  
 संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- ✓ 1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल.) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. संबधित विभाग.....
3. संबधित कार्मिक श्री.....
4. निजी/रक्षित पत्रावली

  
 (सुभाष चन्द्र शर्मा)  
 सहायक निदेशक (प्रशासन)